समझौता ज्ञापन
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING-MOU)

के मध्य
सकलडीहा पी0 जी0 कालेज , सकलडीहा चन्दौली
(प्रथम पक्ष)

एवं

प्राथमिक विद्यालय सकलडीहा–चन्दौली (प्रथम)
(द्वितीय पक्ष)

यह समझौता ज्ञापन उपरोक्त दोनो संस्थानों क्रमशः सकलडीहा पी0 जी0 कॉलेज, सकलडीहा–चन्दौली तथा प्राथमिक विद्यालय सकलडीहा–चन्दौली (प्रथम) के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के संयुक्त हस्ताक्षरित तिथि 16.09.2021 से प्रभावी होगा एवं पूर्णतः वित्त रहित होगा।

क. समझौता ज्ञापन का उद्देश्य–

1. सकलडीहा पी0 जी0 कालेज, सकलडीहा–चन्दौली के शिक्षकगण एवं छात्र/छात्रायें प्राथमिक विद्यालय सकलडीहा–चन्दौली (प्रथम) में छात्र/छात्राओं के शिक्षण एवं अधिगम हेतु प्रयास करेंगे एवं प्राथमिक विद्यालय सकलडीहा–चन्दौली (प्रथम) के छात्र/छात्राओं को द्वितीय पक्ष की यथा सहमति के आधार पर शिक्षा प्रदान करेंगें।

2. सकलडीहा पी0जी0 कॉलेज, सकलडीहा–चन्दौली के शिक्षणगण एवं छात्र/छात्राएँ प्राथमिक विद्यालय सकलडीहा–चन्दौली (प्रथम) के मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगें।

3. प्राथमिक विद्यालय सकलडीहा–चन्दौली (प्रथम) के छात्र/छात्रायें सकलडीहा पी0 जी0 कालेज, सकलडीहा–चन्दौली के शैक्षिणक भ्रमण पर आ सकेंगे तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय की निःशुल्क सुविधा प्राप्त का लाभ उठा सकेंगे।

4. दोनों संस्थान शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए आवश्यक नैतिकता और विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार के लिए प्रयास करेंगे।

ख. सहयोग का क्षेत्र–

शिक्षण–प्रशिक्षण एवं ज्ञान के विस्तार में गैर वित्तीय सहयोग।

ग. सहयोग का माध्यम–

- शिक्षण–प्रशिक्षण तथा ज्ञान के विस्तार में आपसी हित के लिए सहयोग एवं संवर्धन के माध्यम द्वारा।
- दोनों सस्थानों के संसाधनों के अनुरूप जो भी माध्यम उपलब्ध हों एवं शिक्षण एवं प्रशिक्षण में उपयोगी हों के द्वारा।

घ. नियम व शर्तें–

इस समझौता ज्ञापन के द्वारा दोनों संस्थान सकलडीहा पी0जी0 कॉलेज, सकलडीहा–चन्दौली एवं प्राथमिक विद्यालय सकलडीहा–चन्दौली (प्रथम) के मध्य पूर्णतः गैर वित्तीय सहयोग होगा।

इस समझौता ज्ञापन के द्वारा दोनों संस्थान सकलडीहा पी0जी0 कॉलेज, सकलडीहा–चन्दौली एवं प्राथमिक विद्यालय सकलडीहा–चन्दौली (प्रथम) के मध्य केवल शिक्षण–प्रशिक्षण एवं ज्ञान विस्तार के लिए सहयोग होगा।

ङ. गोपनीयता–

इस समझौता ज्ञापन के द्वारा दोनों संस्थान सकलडीहा पी0 जी0 कॉलेज, सकलडीहा–चन्दौली एवं प्राथमिक विद्यालय सकलडीहा–चन्दौली (प्रथम) तथ्यों, आकड़ो एवं सूचनाओं की गोपनीयता स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

च. समझौता ज्ञापन के समयावधि–

यह समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर की तिथि से 5 वर्षों के लिए वैध होगा।

छ. दो प्रति में हस्ताक्षर–

इस समझौता ज्ञापन के दो प्रतियों पर दोनों संस्थान के संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर होगा जिसे दोनों संस्थान एक–एक प्रति सुरक्षित रखेंगें।

सकलडीहा पी0 जी0 कॉलेज, सकलडीहा–चन्दौली के लिए

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह
प्राचार्य
सकलडीहा पी0जी0 कॉलेज
सकलडीहा–चन्दौली

प्राथमिक विद्यालय, सकलडीहा चन्दौली के लिए

Himanshu

श्री हिमांशु कुमार पाण्डेय
प्रधानाचार्य
प्राथमिक विद्यालय
सकलडीहा–चन्दौली

प्रधानाध्यापक
प्रा0वि0 सकलडीहा-I
सकलडीहा चन्दौली

गवाह 1

नाम– डॉ0 श्यामधर सिंह

हस्ताक्षर– ....

गवाह 2

नाम– Praveen Ranjan Mishra

हस्ताक्षर– P.R.Mishra